रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1598] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 6, 2017/ ज्येष्ठ 16, 1939
No. 1598] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 6, 2017/ JYAISTHA 16, 1939

IndiaCode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 6 जून, 2017

का.आ. 1805(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (i) के उपखंड (क) और खंड (v) के अधीन जारी भारत सरकार की, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में अधिसूचना संख्या का.आ. 804(अ) तारीख 14 मार्च, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा उन परियोजनाओं का जिन्होंने पूर्व पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त किए बिना कार्य आरम्भ कर दिया है और ऐसे मामलों को उल्लंघन माना गया है, का मूल्यांकन करने के लिए प्रबंध किया है।

और उपर्युक्त अधिसूचना के पैरा 13 के उप पैरा (1) द्वारा निर्देश दिया गया है कि यथास्थिति केन्द्रीय सरकार से अथवा उपर्युक्त अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा विधिवत रूप से गठित राज्य पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण से, पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किए बिना भारत के किसी भी भाग में प्रक्रिया या प्रौद्योगिकी अथवा दोनों में परिवर्तन सहित अतिरिक्त क्षमता के लिए शुरू की गई पर्यावरण संघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की अपेक्षा वाली परियोजनाओं अथवा क्रियाकलापों या मौजूदा परियोजनाओं अथवा क्रियाकलापों के विस्तार या आधुनिकीकरण को पर्यावरण संघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के उल्लंघन का मामला माना जाएगा;

और उपर्युक्त अधिसूचना में यह और उपबंध है कि ऊपर उल्लिखित परियोजनाओं और क्रियाकलापों से उपर्युक्त अधिसूचना के पैरा 13 के उप पैरा (2) से (7) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा;

और उपर्युक्त अधिसूचना के पैरा 13 के उप पैरा (4) के अनुसरण में सभी क्षेत्रों में उल्लंघन के मामलों का मूल्यांकन करने और केन्द्रीय सरकार को सिफारिशें करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से मिलकर बनने वाली विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) का गठन करने का प्रस्ताव है;

और अब, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना संख्या का.आ. 804(अ) तारीख 14 मार्च, 2017 के पैरा 13 के उप-पैरा (4) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार निम्नानुसार विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का गठन करती है:—

क्रमांक	अध्यक्ष/सदस्य	भूमिका
(1)	(2)	(3)
1.	डॉ. एस.आर. वाटे, निदेशक (सेवानिवृत्त) राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, नागपुर	अध्यक्ष;
2.	डॉ. पी.ए. जोशी अध्यक्ष, एंकर इंस्टीट्यूट और प्रोफेसर, केमिकल इंजीनियरिंग, धर्मसिंह देसाई विश्वविद्यालय, नडियाद - 387 001 (गुजरात)	सदस्य;
3.	डॉ. जी.वी. सुब्रामण्यम सलाहकार (सेवानिवृत्त), एमओईएफसीसी डी-II /183, काका नगर, नई दिल्ली - 75	सदस्य;
4.	डॉ. एल.ए. रामनाथन प्रोफेसर, पर्यावरण विज्ञान विद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली - 67	सदस्य;
5.	डॉ. एम.वी. रमन्ना मूर्ति सलाहकार, आईसीएमएएम, एनआईओटी कैंपस, पल्लीकरै, चेन्नै- 600 100	सदस्य;
6.	श्री के. गोवरप्पन, प्लॉट नं. 6, गणेश एवेन्यू, II स्ट्रीट, शक्ति नगर, पोरूर, चेन्नै-600116	सदस्य;
7.	डॉ. दिलीप एस रामटेके वैज्ञानिक (सेवानिवृत्त), नीरी, 64 बी, अध्यापक कॉलोनी, जेटला चौक, त्रिमूर्ति नगर, नागपुर - 440 020	सदस्य;
8.	डॉ. पूनम कुम्रिया प्रोफेसर, भूगोल विभाग, मिरांडा हाउस, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली - 7	सदस्य;
9.	डॉ. भरत जैन उप-मुख्य इंजीनियर (सेवानिवृत्त), जीआईडीसी गुजरात क्लीनर प्रोडक्शन केंद्र, उद्योग भवन, गांधीनगर - 11	सदस्य;
10.	डॉ. सुब्रत मैती, प्रोफेसर (सेवानिवृत्त), बीसीकेवी (कृषि विश्वविद्यालय), बी 2/210 कल्याणी, नाडिया - 741235 (पश्चिम बंगाल)	सदस्य;
11.	श्री एस.के. श्रीवास्तव, वैज्ञानिक ई, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जोरबाग रोड, नई दिल्ली -3	सदस्य सचिव

2. विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी तथा ऐसी प्रक्रिया का अनुपालन करेगी जो उपर्युक्त अधिसूचना में उपदर्शित है।

3. विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पूर्वानुमोदन से सुसंगत क्षेत्र में एक विशेषज्ञ का एक सदस्य के रूप में विकल्प चुन सकती है।

IndiaCode

4. विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए पदभार संभालेंगे।

5. विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठकें दिल्ली में होंगी, तथापि, विशेष मामलों में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पूर्व सहमति से, देश में कहीं भी बैठक आयोजित की जा सकती है।

6. विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक फीस, यात्रा और मंहगाई भत्ते का संदाय भारत सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

[फा. सं. 19-43/2017-आईए-III]

मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

ORDER

New Delhi, the 6th June, 2017

S.O. 1805(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 804(E), dated the 14th March, 2017, issued under sub-section (1), sub-clause (a) of clause (i) and clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government has established an arrangement to appraise the projects, which have started the work without taking prior environmental clearance and such cases have been termed as cases of violation;

And whereas, vide sub-paragraph (1) of paragraph 13 of the said notification, it has been directed that the projects or activities or the expansion or modernisation of existing projects or activities requiring prior environmental clearance under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 entailing capacity addition with change in process or technology or both, undertaken in any part of India without obtaining prior environmental clearance from the Central Government or by the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, duly constituted by the Central Government under the said Act, shall be considered a case of violation of the Environment Impact Assessment Notification, 2006;

And whereas, the said notification further provides that the projects and activities referred above, shall be dealt strictly as per the procedure specified in sub-paragraph (2) to (7) of paragraph 13 of the said notification;

And whereas, in pursuance of sub-paragraph (4) of paragraph 13 of the said notification, it is proposed to constitute the Expert Appraisal Committee (EAC) comprising of members with expertise in different sectors to appraise and make recommendations to the Central Government as cases of violation in all the sectors;

And now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of sub-paragraph (4) of paragraph 13 of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, number S.O. 804(E), dated the 14th March, 2017, the Central Government hereby constitutes the Expert Appraisal Committee, as follows:—

S. No.	Chairman/Member	Role
(1)	(2)	(3)
1.	Dr. S.R. Wate, Director (Retired) National Environmental Engineering Research Institute, Nagpur	Chairman;
2.	Dr. P.A. Joshi Chairman, Anchor Institute & Professor, Chemical Engineering, Dhrarmsinh Desai University, Nadiad - 387 001 (Gujarat)	Member;
3.	Dr. G.V. Subrahmanyam Advisor (Retired), MoEFCC D-II/183, Kaka Nagar, New Delhi - 75	Member;
4.	Dr. A.L. Ramanathan Professor, School of Environmental Sciences, Jawaharlal Nehru University, New Mehrauli Road, New Delhi - 67	Member;

5.	Dr. M.V. Ramana Murthy Advisor, ICMAM, NIOT Campus, Pallikarai, Chennai - 600 100	Member;
6.	Shri K Gowarappan, Plot No. 6, Ganesh Avenue, II Street, Sakthi Nagar, Porur,Chennai – 600116	Member;
7.	Dr. Dilip S. Ramteke Scientist (Retired), NEERI, 64 B, Adhyapak Colony, Jaitala Chowk, Trimurti Nagar, Nagpur - 440 020	Member;
8.	Dr. Poonam Kumria Professor, Geography Department, Miranda House, University of Delhi, Delhi - 7	Member;
9.	Dr. Bharat Jain Dy. Chief Engineer (Retired), GIDC Gujarat Cleaner Production Centre, Udyog Bhavan, Gandhinagar - 11	Member;
10.	Dr. Subrata Maity, Professor (Retired), BCKV (Agriculture University), B2/210 Kalyani, Nadia - 741235 (West Bengal)	Member;
11.	Sri S. K. Srivastava, Scientist E, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Jorbagh Road, New Delhi - 3	Member Secretary.

2. The Expert Appraisal Committee shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the said notification.

3. The Expert Appraisal Committee may co-opt an expert as a Member in a relevant field with prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

4. The Chairman and Members of the Expert Appraisal Committee shall hold office for a term of three years from the date of publication of this order in the Official Gazette.

5. The meetings of the Expert Appraisal Committee shall be held in Delhi, however, in special cases, with the prior concurrence of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, a meeting may be held elsewhere in the country.

6. The sitting fee, travelling and dearness allowances to the Chairman and Members of the Expert Appraisal Committee shall be paid as per the Government of India rules.

[F. No. 19-43/2017-IA-III]

MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.06.06 20:11:42 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.